राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक–सीआरओ/राआम/2021–22/57/–I दिनांक : 7-5-21

कार्यालय आदेश

नीलामी के उन सभी प्रकरणो मे जिनकी राशि जमा कराने की तिथि 15.03.2020 के पश्चात् की थी उनकी तिथि पूर्व में मण्डल के आदेश क्रमांक–सीआरओ/राआम/2020–2021/162 दिनांक 07.10.2020, क्रमांक–सीआरओ/राआम/2020–2021/168 दिनांक 09.10.2020 एवम् क्रमांक–वसूली/राआम/2020–2021/71/498 दिनांक 26.10.2020 से दिनांक 31.12.2020 तक बढ़ायी गयी थी।

कोविड–19 की दूसरी लहर के प्रचंड रूप के मद्देनजर सक्षम स्तर पर लिये गये निर्णयानुसार नीलामी के उन सभी प्रकरणो में (ई–सबमिशन, बुधवार उत्सव नीलामी, ई–ऑक्शन) जिनकी माग पत्र मे दर्शायी गयी वांछित पूर्ण अथवा आंशिक राशि जमा कराने की दिनांक 15.03.2020 के पश्चात् की थी उनकी जमा कराने की अवधि दिनांक 30.06.2021 तक बिना ब्याज/शास्ति/प्रशासनिक शुल्क के बढ़ायी जाती है।

नीलामी के उन सभी प्रकरणो मे जिनकी राशि जमा कराने की तिथि 15.03.2020 के पश्चात् की थी उनकी 35 प्रतिशत राशि की तिथि 31.03.2021 तक एवम् शेष 50 प्रतिशत राशि की तिथि 30.06.2021 तक जमा कराने की छूट मण्डल के आदेश क्रमांक–सीआरओ/राआम/2020–2021/311 दिनांक 10.03.2021 से प्रदान की गयी थी।

लॉकडाउन लगा देने के कारण दिनांक 16.04.2021 के पश्चात् राशि जमा कराने की तिथि के नीलामी के उन सभी प्रकरणों में 35 प्रतिशत राशि की तिथि 30.06.2021 एवम् 50 प्रतिशत राशि की तिथि 30.09.2021 तक जमा कराने की छूट प्रदान की जाती है।

उक्त आदेश तुरन्त प्रभावी होगा किन्तु पूर्व में निस्तारित प्रकरणों को पुनः नहीं खोला जावेगा व जमा राशि पुनः लौटाई नहीं जावेगी।

उक्त आदेश संचालक मण्डल के अनुमोदन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है।

आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव–अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. उप शासन सचिव प्रथम/द्वितीय/तृतीय नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव–मुख्य अभियन्ता–प्रथम, द्वितीय, सचिव/वित्तीय सलाहकार, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता–प्रथम/तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता–द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर।

Scanned with CamScanner

7. मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
8. उप वित्तीय सलाहकार, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
9. वरिष्ठ लेखाधिकारी ...., रा.आ.मं. जयपुर।
10. उप आवासन आयुक्त, वृत्त ...., रा.आ.मं., ...।
11. आवासीय अभियन्ता, खण्ड ....रा.आ.मं., ...।
12. जन सम्पर्क अधिकारी, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
13. लेखाधिकारी, वृत्त ....,रा.आ.मं., ...।
14. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, रा.आ.मं., जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को मण्डल की वेबसाइट पर अपलोड व सभी को मेल करें।
15. कार्यालय आदेश/रक्षित पत्रावली।

वित्तीय सलाहकार

Scanned with CamScanner